मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः24.09.2025

मिशन शक्ति फेज-5 अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध में कार्यवाही करते हुए थाना कछवां पुलिस द्वारा शादी का झासा देकर बहला-फुसला के भगाने व धर्म परिवर्तन कराने के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार —

थाना कछवां, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 23.09.2025 को एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध वादी की पुत्री को शादी का झासा देकर बहला-फुसला के भगाने व धर्मपरिवर्तन का प्रलोभन देने के सम्बन्ध लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कछवां पर मु 0अ0सं0-164/2025 धारा 87 बीएनएस व 3/5(1) उ.प्र. विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधि. पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त महिला सम्बन्धित अपराध की घटना को गंभीरता से लेते हुए मिशन शक्ति अभियान फेज- 5.0 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक कछवां को निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के अनुक्रम मे आज दिनांकः 24.09.2025 को मिशन शक्ति एंटीरोमियों पुलिस टीम उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा थाना कछवां क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शमीम अंसारी पुत्र नजीर अंसारी निवासी ग्राम जलालपुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर को अंतर्गत धारा 87 बीएनएस व 3/5(1) उ.प्र. विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधि. में गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

शमीम अंसारी पुत्र नजीर अंसारी निवासी ग्राम जलालपुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-164/2025 धारा 87 बीएनएस व 3/5(1) उ.प्र. विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधि. थाना कछवां मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम थाना कछवां जनपद मीरजापुर।

****